कारिया की क्रम संख्या और तारीख		
भ के की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय:– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	
19.5.2023	विविध अपील वाद सं0 07/2014-15	
	शामदेव महतोअपीलार्थी । बनाम् राज्य सरकारप्रत्यर्थी । आदेश	
	अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा राजस्व ग्राम पाचाडुमर के खाता सं० 165 प्लॉट सं० 1706 रकवा 3.50 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा दिया गया है। जिसका रिर्टन भी आवेदक को प्राप्त है जिसका लगान भी आवेदक के द्वारा दिया जा रहा है। आवेदक के चल रहे मांग को स्थिगित कर दिया गया है। जिसे प्रारम्भ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, केतार से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।	
	अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:— 01 ग्राम पाचाडुमर थाना व अंचल भवनाथपुर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकवा 3.50 एकड़ भूमि आवेदक को भूतपूर्व जमींदार ने बन्दोवस्त कर दिया था एवं जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् भूतपूर्व जमींदार ने अपना जो रिर्टन समर्पित किया है उसमें सामदेव महतो को ग्राम पाचाडुमर थाना व अंचल भवनाथपुर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकवा 3.50 एकड़ भूमि का रैयत बताया है।	
	02 आवेदक के अज्ञानता वश उक्त भूमि की जमाबंदी जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् आवेदक के नाम से कायम नहीं हो सका। 03 वर्तमान सर्वे की कार्यवाई ग्राम पाचाडुमर में प्रारम्भ हुई तो उसमें आवेदक का दखल कब्जा देख कर प्लॉट नं0 1706 में विभिन्न टुकड़ा में आवेदक की भूमि पाई गई एवं उसी अनुसार प्लॉटिंग हुई। 04 प्लॉट नं0 1706 की कुछ भूमि पर वर्तमान सर्वे में आवेदक का अवैध दखल कब्जा के रूप मे नाम दर्ज किया गया। 05 वर्ष 2005-06 में तत्कालीन उप समाहर्ता ने रिर्टन व वर्तमान सर्वे में दखल दर्ज दखल कब्जा के आधार पर ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकवा 3.50 एकड़ भूमि जमाबंदी आवेदक के नाम से कायम कर दी एवं जमींदारी काल से उक्त भूमि का लगान आवेदक से वसूल करने	

06 विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार नगर उंटारी द्वारा पारित आदेश

लगातार

का आदेश पारित किया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	के आलोक में हल्का कर्मचारी ने प्रश्नगत भूमि का लगान जमींदारी उन्मूलन के समय से वर्तमान तक का लगान लेकर सरकारी मालगुजारी रसीद आवेदक के नाम से निर्गत कर दिया। 07 आवेदक की यह जानकारी नहीं हो सकी कि उन्होंने किस वाद संख्या से उक्त भूमि का जमाबंदी कायम कर दी है। 08 प्रश्नगत भूमि पर कब्जा के करने की नियत से जमुना बैठा वगैरह ने एक साजिस के तहत एक सीमांकन वाद की कार्यवाई प्रारम्भ कराई जिसका वाद सं० 27/2013-14 है उक्त सीमांकन वाद में प्लॉट नं० 1706 में जमुना बैठा वगैरह की तथा सामदेव महतो के दखल कब्जा की भूमि की सीमांकन की गई प्लॉट नं० 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर जमुना बैठा वगैरह का कब्जा पाया गया तथा 3.00 एकड़ भूमि पर सामदेव महतो का दखल कब्जा पाया गया।
	पाया गया। 09 प्लॉट नं0 1706 में रकवा 3.50 एकड़ भूमि आवेदक की है जिसमें रकवा 0.50 एकड़ भूमि में आवेदक का निवासीय भवन पेड़ पोघा कुँआ एवं मुख्य पथ पर जाने का निकसार व रास्ता है। 10 जमुना बैठा वगैरह ने आवेदक के दखल कब्जा की भूमि को हड़पने की नियत से थाना में एक आवेदन दिया उसमें आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी भवनाथपुर ने ग्राम पाचाडुमर की खाता नं0 165 प्लॉट नं0 1706 की रकवा 3.50 एकड़ भूमि पर घारा 144 द0 प्र0सं0 की कार्यवाई हेतु प्रतिवेदन भेजा जिसपर विविध वाद सं0 400/2014 की कार्यवाई प्रारम्भ हुई। आवेदक ने प्लॉट नं0 1706 की रकवा 0.50 एकड़ भूमि पर घारा 144 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाई प्रारम्भ कराई जिसका वाद सं0 391/2014 प्रारम्भ की गई। उक्त वाद में जमुना बैठा वगैरह ने आवेदक के रिजस्टर 2 की प्रति दाखिल की है। जिसमें उल्लेख है कि अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के पत्रांक

11 जब आवेदक को उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो उसने जमाबंदी चालु कराने हेतु यह आवेदन पत्र वाद दाखिल कर रहा है।

38/रा0, दिनांक 19.02.2013 के आधार पर आवेदक की जमाबंदी स्थगित

कर दी गई है।

12 प्लॉट नं0 1706 में आवेदक का वर्षों से पुराना मकान है जिसमें आवेदक सपरिवार रहता है उक्त भूमि में आवेदक ने बहुत पेड़ पोधा लगाया है उसमें कुँआ भी खुदवाया है एवं उस भूमि पर दखल काबिज है।

अतः आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी को स्थगन आदेश वापस करते हुए सामदेव महतो के नाम से प्लॉट नं0 1706 की जो जमाबंदी मांगपंजी 2 के पेज नं0 113/5 पर कायम है उसे बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

लगातार

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपाणी तारीख सहित
1	2	3
	01 सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 का छायाप्रति	
	श्री जमुना बैठा ने बकालातनामा के साथ इस वाद में केवल उपस्थिति दर्ज करायी गयी है। अपने के दावे समर्थन में अपील आवेदन पत्र के प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है और न हीं कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है।	
	अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 203 दिनांक 27.08.2018 से प्रतिवेदित किया गया है कि "प्रश्नगत भूमि के विधिवत जॉचोपरान्त कागजात एवं दखल कब्जा के आधार पर विविध वाद सं0 127/2005-06 वाद संधारित कर जॉचोपरान्त लगान निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। लगान निर्धारण के पश्चात् सरकारी सरीस्ते में डिमाण्ड खोलकर जमींदारी उन्मूलन की तिथि से लगान की वशुली की गई है। डिमाण्ड पंजी 2 के पेज नं0	
	113/5 पर कायम है। आवेदक द्वारा अपने श्रम एवं बदौलत भूमि की गिलदाजी कर खेती लायक बनाया गया है। अरहर मकई एवं धान का खेत तैयार किया गया है। सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 में सन्निहित भूमि खारिज करने योग्य है। किसी भी गैरमजरूआ खाता को कायम जमाबंदी जो	
	दीर्घाधिन एवं बैध कागजात के आधार पर कायम की गई उसे संदेहास्पद को भी स्थिति में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 के दिशा निर्देश के आलोक में	

पुनः अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा पत्रांक 108 दिनांक 17.03.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि गत सर्वे खितयान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। जिसका मांग पंजी के पेज नं0 113/5 पर सामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से विविध वाद सं0 127/2005–06 के अनुसार चलता है। जिस मांग को अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के ज्ञापांक 38/रा0, दिनांक 19.02.2013 के अनुसार स्थिगत कर दिया गया। वर्तमान समय में भूमि परती है मांगधारी रैयत सामदेव महतो से पूछताछ किया एवं उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि पर अनुमण्डल में धारा 145 चलने के कारण मेरे द्वारा जोत कोड़ नहीं किया जा रहा है।" सीमांकन वाद सं0 27/2013–14 के अनुसार अंचल अधिकारी के द्वारा अभिलेखबद्ध किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक

Page No. 3

लगातार

आदेश की	क्रम संख्या
और	तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

खाते की भूमि है जिसका डिमांण्ड अन्य प्लॉट के साथ रकबा 11.81 एकड़ का रामधनी राम, रामचरित्र, लक्ष्मण बैठा पिता पदारथ बैठा के नाम से पेज नं0 30/1 पर चलता है परन्तु पंजी 2 में डिमाण्ड खुलने का आघार अंकित नहीं है।" तथा अंचल अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 8.81 एकड़ भूमि का मांपी किया गया। प्लॉट नं0 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर आवेदक जमुना बैठा वगैरह तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।"

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अपील आवेदन पत्र अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि ग्राम पाचाडुमर के खाता सं0 165 प्लॉट सं0 1706 रकबा 3.50 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि का मांग सामदेव महतो पिता दाशा महतो के नाम से विविध वाद सं0 127/2005-06 के आधार पर मांग पेज नं0 113/5 पर चलता है। इस मांग को अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी के ज्ञापांक 38/रा0, दिनांक 19.02.2013 के अनुसार स्थगित कर दिया गया। वर्तमान समय में भूमि परती है मांगघारी रैयत सामदेव महतो के द्वारा अनुमण्डल में घारा 145 द0 प्र0 सं0 की कार्रवाई लिम्बत रहते के कारण प्रश्नगत भूमि पर जोत कोड़ नहीं किया जा रहा है।" सीमांकन वाद सं0 27/2013-14 में संलग्न भूमि का मांपी प्रतिवेदन में प्लॉट नं0 1706 में रकबा 5.81 एकड़ भूमि पर जमुना बैठा वगैरह तथा रकबा 3.00 एकड़ भूमि शामदेव महतो के दखल कब्जे में है।"

अतः उक्त तथ्य के आलोक में स्पष्ट है कि पूर्व में निर्गत पत्रांक 38/रा0, दिनांक 19.02.2013 द्वारा कायम जमाबंदी पर रोक लगाई गई है जो यथावत बनी रहेगी इसलिए आवेदक के द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

श्री वंशीधर नगर